दिनांक 29 अगस्त 2022 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बड़ा निर्णय, होलसेल डीलर एवं निर्माता तक पहुंचेगी निगम की टीम, अंकुश लगाने पर्यावरण विभाग एवं पुलिस प्रशासन की ली जाएगी मदद, निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने ली स्वास्थ्य महकमे की अहम बैठक

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आज स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक ली। मुद्दा था प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर सभी स्थानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई का। बैठक में निगम भिलाई का पूरा स्वास्थ्य महकमा मौजूद रहा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं जोन आयुक्त , स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा सहित हेल्थ विभाग के आला अधिकारी/कर्मचारी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रमुख रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर उचित कार्यवाही के लिए बैठक में रणनीति तैयार की गई। हालांकि बाजार क्षेत्रों में निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार छापे मारकर उचित कार्रवाई कर रही है , परंतु अब इनके निर्माता एवं होलसेल डीलर तक निगम पहुंचेगा ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसते हुए मार्केट तक प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक न पहुंच पाए। सुबह एवं रात्रि में भी इसको लेकर कार्यवाही की जा रही है वहीं जहां भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम भिलाई निगम कर रहा है लगातार जुर्माने की कार्रवाई भी जारी है। प्रायः भिलाई के मार्केट से प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का नामोनिशान गायब हो चुका है। खासकर शराब दुकानों के समीप चखना सेंटर व अहाता पर भी विशेष रुप से टीम पहुंचेगी। इसके लिए आबकारी विभाग को भी निगम सहयोग के लिए पत्र प्रेषित करेगा ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर विशेष रूप से कार्रवाई हो सके और शहर से इसका खात्मा हो सके। इसे हटाने के साथ ही इसका विकल्प भी निगम निर्धारित कर रहा है इसकी जिम्मेदारी ताकि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और कपड़ों के थैले एवं बर्तनों आदि का उपयोग करें इसके लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। शादी एवं पार्टियों में होने वाले आयोजनों पर भी निगम प्रशासन नजर रखेगा और यहां पर यदि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाया गया तो ऐसे आयोजन पर भी कार्रवाई होगी तथा जुर्माना भी लगाया जाएगा। ज्यादातर उपयोग होने वाले स्थानों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सजग होकर निगम कार्यवाही करने के बड़ी मंशा में है।